B.A. Part 2
Paper: VII

19.10.20

लघु क्षेत्र के संबंध में औद्योगिक नीति की घोषणा की प्रधान विशेषताएँ:

(1) लघु क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाकर लघु उद्योगों के लिए 60 लाख रुपये तथा सहायक (Ancillary) एवं निर्यात प्रधान (export-oriented) इकाइयों के लिए 75 लाख रुपये कर दिया गया। इस नवीन नीति के अंतर्गत सेवा क्षेत्र (Service sector) के अंतर्गत रोजगार सृजन के महत्त्व को देखते हुए इन्हें भी लघु क्षेत्र घोषित कर दिया गया तथा इनके निवेश की सीमा भी Tiny इकाइयों के अनुसार ही कर दी गयी।

(2) साथ ही National Equity Fund Scheme को भी व्यापक बना दिया गया जिससे यह 10 लाख रुपये या 15% तक पूँजी की मदद कर सकता है। इसी प्रकार ऋण की अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Single Window loan Scheme को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। साथ ही, इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Small Industries Development Bank (SIDBI) को अधिकृत किया गया है। इन उद्योगों के लिए ऊपरी सुविधाओं (Infrastructur-al facilities) को बढ़ाने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन (Small industries development organisation) के अंतर्गत एक तकनीकी विकास विभाग (Technological Development cell) की स्थापना की व्यवस्था है जो लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पादकता तथा प्रतियोगिता की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(3) इसी प्रकार लघु उद्योगों, विशेष रूप से Tiny sector को अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे पदार्थों की आपूर्ति की व्यवस्था पर जोर है।

(4) इन उद्योगों की वस्तुओं के बाजार की सुविधा का ~~दायित्व~~ दायित्व National Small Industries Corporation (NSIC) को सुपुर्द किया गया है। इसी ~~प्रकार~~ इनकी निर्यात की क्षमता के अधिकाधिक उपयोग की जिम्मेवारी SIDC को सुपुर्द कर दी गयी है। यह लघु उद्योगों को निर्यात सम्बन्धी जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही इन उद्योगों के आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार तथा गुणवत्ता में सुधार (Modernisation, Technological and quality upgradation) की सुविधा भी प्रदान करने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देने की जिम्मेवारी Indian Institute of Technology (IIT) को सौंपी गयी है।

(5) हस्तकर्घा क्षेत्र, जो कुल वस्त्र उत्पादन का प्रायः 30% भाग उत्पादन करता है कि स्थिति में सुधार पर नयी नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके ~~अंतर्गत~~ अंतर्गत बुनकरों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के साथ-साथ

Scanned by CamScanner

कर्घा के आधुनिकीरण के लिए इन्हें वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी है। इसी प्रकार हस्तकला क्षेत्र (Handicraft Sector) को भी अत्याधुनिक बनाने पर विशेष जोर है। साथ ही, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) को भी अधिक सशक्त बनाने पर जोर है।

(6) आयोग के क्रियाकलापों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिलाओं के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से भी जोड़ने की व्यवस्था है।

Scanned by CamScanner